

# कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक फा. 2(2)सविरा/निशा/अ/2015

दिनांक 30.06.2015

## आदेश

निर्देशानुसार निम्न लिखित कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में "जनहित में" तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री ओम प्रकाश प्रेमी	व. लि.	क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, उदयपुर	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजसमंद
2.	श्री लक्ष्मण सिंह	क. लि.	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, सीकर	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर

क्र. सं. 01, के स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किये गये हैं, अतः इन्हें किसी प्रकार का ज्योईनिंग टाईम एवं यात्रा भत्ता आदि देय नहीं है।

1. स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के द्वारा स्वतः ही कार्यमुक्त समझे जावेंगे एवं नव नियोजित स्थान पर उपस्थिति हेतु ज्वाइनिंग टाइम का उपभोग नहीं करेंगे। कार्यमुक्त नहीं करने वाले कार्यालयध्यक्ष व कार्यमुक्त नही होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि कोई कार्मिक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां के निर्वाचन हेतु नियुक्त है तो ऐसे कार्मिक को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने या वैकल्पिक व्यवस्था होने के पश्चात ही इकाई रिटर्निंग अधिकारी की सहमति से कार्यमुक्त किया जावेगा।

(संजय माथुर)

संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राज. जयपुर
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, प्रधान कार्यालय, जयपुर
4. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, राज. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, जयपुर
5. इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,.....
6. अतिरिक्त/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, -----
7. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, -----
8. वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाइट पर जारी किये जाने हेतु।
9. श्री ----- पद ----- द्वारा-----
10. लेखा शाखा (व्यय), प्रधान कार्यालय, जयपुर
11. निजी पत्रावली श्री
12. रक्षित पत्रावली

संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)